

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में गंगा बैराज, कानपुर के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित बजट ₹ 500.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-54/2025/1977/नौ-5-2025/001-1536700, दिनांक 14-05-2025 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹ 125.00 लाख, शासनादेश संख्या-184/2025/4799/नौ-5-2025/002-1536700, दिनांक 05-08-2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि ₹ 125.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-445/2025/7014/नौ-5-2025/003-1536700, दिनांक 27-11-2025 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि ₹ 125.00 लाख अर्थात् अब तक कुल ₹ 375.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-10422/मु०अ०/रामगंगा/गं०बै०अनु०/ दिनांक 30-12-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 500.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में **₹. 125.00 लाख (₹0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	मद
1	गेटो के रखरखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेंस बाक्स इत्यादि।
2	बिजली बिल 150 केबीए इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट फर्श, लांचिंग अप्रंग सी०सी० ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बंध, एफलेक्स बंध, गाइड बंध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वारियर एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर के पुल का रख-रखाव
9	सिक्वोरिटी स्टाफ-एक गनर दो गार्ड्स दो जगहों पर प्रत्येक शिफ्ट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफ्ट के लिए
10	साइट आफिस एवं कंट्रोल रूम के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस एवं फील्ड हास्टल के रख-रखाव, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग के रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति (विद्युत देयों को शामिल करते हुये) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों


- (1) उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से बैराज निर्माण-खण्ड-2, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
 - (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।
 - (4) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, नगरीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2026 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 - (6) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य /वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010400 गंगा बैराज, कानपुर मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या E-9-264-X-2025-26, दिनांक : 03-02-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-627/2026/522(1)/नौ-5-2026/004-1536700, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, कानपुर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 9- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 10- मुख्य अभियन्ता(राम गंगा), सिंचाई विभाग, उ०प्र० 98-कैनल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
- 11- वित्त (व्य-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।